International Journal of Applied Research 2016; 2(11): 370-371

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2016; 2(11): 370-371
www.allresearchjournal.com
Received: 21-09-2016
Accepted: 22-10-2016

डॉ श्रीमती सुनीला एक्का
सहायक प्राध्यापक
(राजनीतिशास्त्र) शासकीय
महाविद्यालय मरवाही जिला
बिलासपुर (छ0ग0)

Correspondence
डॉ श्रीमती सुनीला एक्का
सहायक प्राध्यापक
(राजनीतिशास्त्र) शासकीय
महाविद्यालय मरवाही जिला
बिलासपुर (छ0ग0)

दहेज एक बड़ी कुरीति, एक बड़ी समस्या

डॉ श्रीमती सुनीला एक्का

प्रस्तावना

कहते हैं महिलाओं के लिए घर से ज्यादा सुरक्षित स्थान और कोई नहीं होता कभी होता होगा पर आज नहीं है। आज हजारों–लाखों महिलाओं के लिए उनका घर ही आतंक का डेरा है। महिलाओं को सबसे ज्यादा खतरा घर पर होने लगी है। घर पर मार–पीट महिलाओं के प्रति हिंसा का सबसे सार्वभौमिक रूप है फिर भी इस तरह की मार–पीट अखबारों की प्रमुख खबरें नहीं बनती क्योंकि यह बंद दरवाजे के भीतर होती है और इसकी शिकायत मुंह खोलने से डरती है। अपराध के कारगर ढंग से निपटने के लिए सशक्त कानून व प्रभावी तंत्र बनाने की आवश्यकता है।

आजादी के सात दशक बीतने पर जब भारत जीवन के बहु व विविध क्षेत्रों में तेजी से उभर रहा है, एक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है पर उसकी राह में कई रोड़े या बाधाएं भी हैं। इन रोड़ों या बाधाओं में हमारे देश की सामाजिक समस्याएं हैं इन समस्याओं में दहेज की समस्या सबसे निकृष्टतम् उदाहरण है। यह न सिर्फ लिंगीय समानता के प्रति हमारे विरोधाभाषी दृष्टिकोण को उजागर करती है वरन् हमारे मूल्य परक विरोधाभाषी पाखंड को भी उजागर करती है।

''दहेज'' शब्द वस्तुतः अरबी शब्द जादेन से निःसृत हुआ है जिसका अर्थ है भेंट या सौगात। यह शब्द आज कन्या के विवाह के समय पितृ पक्ष द्वारा दिये जाने वाले दान, उपहार आदि से है। अनेक समाजशास्त्रियों जैसे मैक्सरेडन, कुम्बरे, फेयरवाईड जैसी इनसाइक्लोपिडिया भी दहेज को इस रूप में परिभाषित करती है–

''दहेज वह धन है जो स्त्री के विवाह के समय दिया जाता है। ''

आज लड़कों को शिक्षा दिक्षा द्वारा योग्य बनाकर उन्हें राष्ट्र व समाज सेवा के लिए तत्पर करने के बजाय उन्हें दहेज वसुलने का उपकरण बना दिया गया है। यह एक पक्ष उभरकर सामने आता है जो अमानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है वर्तमान समय में उपभोक्तावाद से दहेज प्रथा का गहरा संबंध है। उपभोक्तावाद ने समाज को इस कदर से जकड़ लिया है या प्रभावित किया है कि हर वस्तु का ब्राण्ड तय कर दिया जाता है। हर सामान लेटेस्ट होना चाहिए। मूल्य बोध लगातार बहुत सी कम्पनीयों द्वारा तैयार किया जाता है कि लड़की के बेहतर भविष्य के लिए किस ब्राण्ड का सामान, जेवर आदि खरीदना चाहिए, आभूषणों के प्रसिद्ध ब्राण्ड व इसको प्रचारित करने वाली कम्पनियां इस ओर अपनी कोई कसर नहीं छोड़ती विज्ञापन हो या होर्डिंग (Hording) विज्ञापन। या होर्डिंग के प्रचार–प्रसार माध्यमों को अपनाने में इनके विज्ञापन के तौर पर लिखा रहता है ''विवाह जेवर शुद्ध ना हो तो बेटी पर क्या बीतेगी? इस तरह के विज्ञापन मूल्यों को बढ़ावा देते हैं।

दहेज प्रथा के दुष्परिणाम की ओर गौर करें तो यदि दहेज के कारण यदि विवाहिता की हत्या कर दी जाती है तब विवाहिता की हत्या से या उसके बाद उसके बच्चे अनाथों का जीवन गुजारते हैं। सामाजिक असुरक्षा की भावना उनमें घर कर जाती है। इस तरह हमें दहेज प्रथा के दुष्परिणाम व्यापक व घातक रूप में देखने को मिलते हैं।

दहेज आज की युग की सबसे बड़ी कुरीति है और शायद ही कोई परिवार इस बुराई से अछुता हो। बच्चों की शादी में कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष के दबाव में आकर दी जाने वाली वस्तुएं या धन देना दहेज है। जिससे लड़की वाले और मुख्यतः लड़की स्वयं पिड़ित होती है। दहेज के कारण आए दिन बहुओं की हत्याएं हो रही है। किमती वस्तुएं और धन की वर पक्ष द्वारा मांग दहेज के रूप में समाज पर एक कलंक है। यदि वधू पक्ष वर पक्ष की मांग पूरी नहीं करता तो वधू को ससुराल में उत्पीड़न झेलना होता है यहां तक की कुछ नराधमों द्वारा वधूओं को जलाकर मार दिया जाता है। ससुराल जाते ही महिला को उसके पति एवं सास–ससुर, ननद के अधीक कठोर अनुशासन में रहना पड़ता है, उनके उचित– अनुचित आदेशों का पालन वधु का कर्तव्य माना जाता है। व्यावहारिक रूप से पत्नी के विरोध करने पर उसका परित्याग कर दिया जाता है। पिता द्वारा वर की अनुचित मांग को पूरा ना करने पर वधु को पीड़ित किया जाता है।

दुत्कारना, पीटना, भूखा रखना और जलाकर मारने की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। इस प्रकार पति द्वारा त्यागी महिला जीवनपर्यन्त माँ–बाप के यहां दबी, घुटी, सहमी रहती है। यद्यपि सरकार ने दहेज निवारण हेतु कठोर कानून बनाए हैं।

दहेज की समस्या एक विकराल रूप से महिलाओं में बढ़ता जा रहा है। आए दिन समाचार पत्रों में इसकी खबर बनना आम बात हो गई है। दहेज इच्छानुसार ना मिलने पर स्त्री को तरह–तरह से ससुराल पक्ष द्वारा जिसमें पति, सास, ससुर, ननद, देवर सभी सम्मिलित हैं मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं तथा स्त्री को जला देने तक की क्रुर कुकर्म करते हैं। यह प्रथा मुख्य रूप से उच्च वर्गों में व्याप्त है लेकिन इसका प्रभाव धीरे–धीरे अन्य वर्गों पर भी हो रहा है।

दहेज उत्पीड़न की रोकथाम के लिए हमारे देश में वर्ष 1961 में कानून बना, जो '' डाउरी प्रौढ़हिबिशन एक्ट 1961 '' के नाम से जाना गया है। ऐसा नहीं है कि सरकार व अन्य जिम्मेदार संगठन इसके निदान की दिशा में प्रयास नहीं कर रहे हैं बल्कि सरकार ने इसे रोकने के लिए गंभीर विधायी व कार्यपालिकीय प्रयास किये हैं। दहेज विरोधी अधिनियम 1961, भारतीय दण्ड संहिता की धाराएं 498–।, 304 ठ तथा 406 जैसे प्रावधानों ने दहेज उत्पीड़न व दहेज हत्या जैसी घटनाओं में उल्लेखनिय कमी आयी है। इसके अलावा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 द्वारा महिलाओं को कानूनी रूप से मजबुत किया गया है।

रोकने के उपाय

- दहेज रूपी सामाजिक अभिशाप को मिटाने के लिए पहली आवश्यकता है कि हमारी युवा पीढ़ी आगे आये व दहेज के नाम पर माँ–बाप द्वारा बेचे जाने पर राजी ना हो।
- दहेज के बचाव के लिए हमें लड़कियों को स्वावलंबी बनाना होगा। जब वे पढ़–लिखकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी तो विवाह में दहेज जैसे कारण उनके आड़े या रोड़े बनकर सामने नहीं आएंगी व अपने जीवनयापन करने में सक्षम होंगी।
- दहेज रूपी दानव से निपटने के लिए बहुस्तरीय रणनीति बनाने की जरूरत है। इसके अंतर्गत न सिर्फ प्रेम विवाहों को प्रोत्साहित व संरक्षित करने की आवश्यकता है बल्कि पितृसत्तात्मक ढांचे पर प्रहार भी जरूरी है।
- दहेज रूपी दानव को परास्त करेन के लिए यह भी जरूरी है कि समाज में उन लोगों को सम्मानित व प्रोत्साहित किये जाएं, जो बिना दहेज के शादी करते हैं।
- दहेज की मांग करने वालों को कठोर दण्ड दिये जाएं।
- दहेज के विरोध में शिक्षा एवं प्रचार द्वारा शक्तिशाली जनमत तैयार किये जाएं।
- नवयुवकों को दहेज का बहिष्कार करने हेतु प्रोत्साहित किये जाएं।
- दहेज विरोध कानून को असरदार बनाकर उसको क्रियान्वित करने वाले तंत्र को मजबुत किये जाएं।

दहेज के नाम पर महिलाओं के अधिकारों के हनन की गहरी जड़े हमारी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक संरचना और सांस्कृतिक मान्यताओं में है लेकिन बदलते युग में मानसिक विचारधारा एवं व्यवस्था में बदलाव आया है। महिलाओं की सोच अब बदल रही है। आज कुछ पुरूष महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर दे रहे हैं। परिवार में महिलाओं के बारे में अब उनका रचनात्मक सोच बन रहा है। घर के काम–काज और निर्णयों में पत्नी की भागीदारी बढ़ रही है आज महिलाएं भी पुरूषों के साथ समान भागीदार बनना चाहती हैं।

सरकार ने भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास शुरू किए हैं। राज्य महिला आयोग का गठन हो चुका है। महिला थाना की संख्या में वृद्धि जा रही है। पंचायती राज में 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण किया गया है। ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता का का प्रतिशत बढ़ रहा है। जीवन शैली में वृद्धि हुई है। महिलाओं का लिंगानुपात तुलनात्मक रूप से अन्य अनेक राज्यों में बेहतर है। हालांकि राज्य की महिलाओं की स्थिति में प्रत्येक क्षेत्र में सुधार अवश्य आया है, लेकिन समाज में उन्हें वांछित स्थान दिलाने हेतु अभी एक लम्बा सफर तय करना बाकी है। आर्थिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य व शिक्षा के साथ ही जैसे–जैसे लोकतंत्र तथा सम्पूर्ण समाज के सोच, रवैय्या और पूर्वाग्रहपूर्ण धारणाओं में बदलाव आता जायेगा छत्तीसगढ़ के ग्रामीण महिलाओं का भविष्य उज्जवल होता जायेगा।

(References) संदर्भ ग्रथ सूची

1. नारायण प्रकाा/महिला जागृति और कानून/ राणा पब्लिकेशन जयपुर ।
2. त्रिपाठी डॉ टी.पी./मानव अधिकार/ इलाहाबाद लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन्स।
3. दैनिक समाचार पत्र – नवभारत।
4. दैनिक समाचार पत्र '– दैनिक भास्कर।